[2021] 6 एस. सी. आर 1094

मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 5728)

में

(2021 का विविध आवेदन संख्या 1608)

20 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्ना, न्यायाधीशगण]

भारत का संविधानः अनुच्छेद 226-निर्णय में टंकण त्रुटियां का-सुधार-निर्णय के अनुच्छेद 8 में उल्लिखित 56 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपये की राशि को क्रमशः 5.6 करोड़ रुपये और 67 लाख रुपये के रूप में पढ़ा जाएगा-फैसले के अनुच्छेद 10 में 67 करोड़ रुपये की राशि को 67 लाख रुपये के रूप में पढ़ा जाएगा-अनुच्छेद 15 में श्री एस. के. बागरिया और श्री साकेत सिंह की उपस्थिति को क्रमशः श्री एस. के. बागरिया, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री साकेत सिंह, विद्वान वकील के रूप में पढ़ा जाएगा-निर्णय/आदेश।

दीवानी अपीलीय न्यायाधिकार: 2021 का विविध आवेदन सं. 1608

2021 की दीवानी याचिका सं. 5728

2015 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4300 उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार, पटना के निर्णय और आदेश दिनांक 18.09.2017 से।

प्रवीण कुमार, सुश्री सुनैना कुमार, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. 24 सितंबर 2021 के फैसले में एक टंकण संबंधी त्रुटियां के सुधार के लिए विविध आवेदन दायर किया गया है।

2. फैसले के अनुच्छेद 8 में उल्लिखित 56 करोड़ और 67 करोड़ रुपये की राशि को 5.6 करोड़ और 67 लाख क्रमशः के रूप में पढ़ने के लिए सही किया जाएगा और फैसले के अनुच्छेद 10 में 67 करोड़ रुपये की राशि को 67 लाख रुपये के रूप में पढ़ने के लिए सही किया जाएगा।

3. फैसले के अनुच्छेद 15 में, श्री एस. के. बागरिया और श्री साकेत सिंह की उपस्थिति को क्रमशः श्री एस. के. बागरिया, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री साकेत सिंह, विद्वान वकील के रूप में पढ़ने के लिए सही किया जाएगा।

4. विविध अनुप्रयोग का तदनुसार निपटान किया जाता है।

निधि जैन

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।